न्यायालय तहसीलदार अजमेर (जिला अजमेर)

प्रकरण संख्या 40 / 2022

अन्तर्गत धारा 91
राज भू. राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का अजयसर बनाम श्री नन्दा पुत्र घीसा जाति चीता निवासी खरेखडी तहसील अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अजयसर ने रिर्पोट प्रस्तुत कि ग्राम अजयसर के खसरा नम्बर 860, 850/2899, 851, 852 रकबा 0.46, 0.45, 0.04, 0.04 भूमि है। जिसमें से 0.46, 0.45, 0.04, 0.04 हैक्ट. पर चारों ओर कांटे की बाड लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। वर्तमान में ग्राम अजयसर की आराजी खसरा नम्बर 860, 850/2899, 851, 852 रकबा 0.46, 0.45, 0.04, 0.04 मुताबिक रिकॉर्ड किस्म बारानी 3 दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अुनसार अतिकमी कें विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिकमी को नोटिस जारी किया गया तथा गैर सायल अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी संवत 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 860, 850/2899, 851, 852 रकबा 0.46, 0.45, 0.04, 0.04 जिस पर अतिकमी श्री नन्दा पुत्र घीसा जाति चीता निवासी खरेखडी तहसील अजमेर द्वारा 0.46, 0.45, 0.04, 0.04 हैक्ट. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्ध होता है।

अतः उक्त प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिकमित भूमि ग्राम अजयसर के खसरा नम्बर 860, 850/2899, 851, 852 से अतिकमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही भूमि की लगान 2 रू का पच्चास गुना राशि 100रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है ।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू. अभि. निरक्षक/ पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिकमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को खुलें न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, अजमेर
तहसीलदार, अजमेर